संख्या-13/2021/1320/94-स्टा0नि0-2-2021-700(01)/2015

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2021

विषयः- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-12/2021/1302/94-स्टा0नि0-2-2021-700(01)/2015 दिनांक 24-12-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में स्टाम्प कलेक्टर एवं मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारीगण के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत लम्बित स्टाम्पवादों/स्टाम्प अपीलों/स्टाम्प निगरानियों के निस्तारण हेतु समाधान योजना प्रख्यापित की गयी थी।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24-12-2021 के साथ संलग्न पक्षकारों को भेजी जाने वाली नोटिस के प्रारूप में उल्लिखित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-33/धारा-47ए(1), (3)/धारा-56-1(ए) के उल्लेख के साथ धारा-56(1) का उल्लेख, टंकण की त्रुटि के कारण नहीं हो पाया है। इसके दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 24-12-2021 द्वारा प्रख्यापित समाधान योजना भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-56(1) के अधीन प्रकरणों पर भी समान रूप से प्रभावी होगी तथा इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप में धारा-56(1) के अधीन प्रकरणों पर भी पक्षकारों को नोटिस प्रेषित की जा सकेगी।

अतः एतद्द्वारा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24-12-2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), उत्तर प्रदेश|
3. समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश|
4. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश|

भवदीय,
अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।